158/12

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 083901

ट्रस्ट डीड

स्टाम्प शुल्क – 750 रू0

हम कि उमेश सिंह पुत्र स्व0 तिलक राज सिंह निवासी 683, राजरूपपुर, जिला–इलाहाबाद व उत्कर्ष सिंह पुत्र श्री उमेश सिंह निवासी 683, राजरूपपुर, जिला–इलाहाबाद व श्रीमती उषा सिंह पत्नी श्री उमेश सिंह निवासी 683, राजरूपपुर, जिला–इलाहाबाद के हैं जिन्हे आगे संस्थापक कहा गया है। संस्थापको की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है जिसके लिए संस्थापकों ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

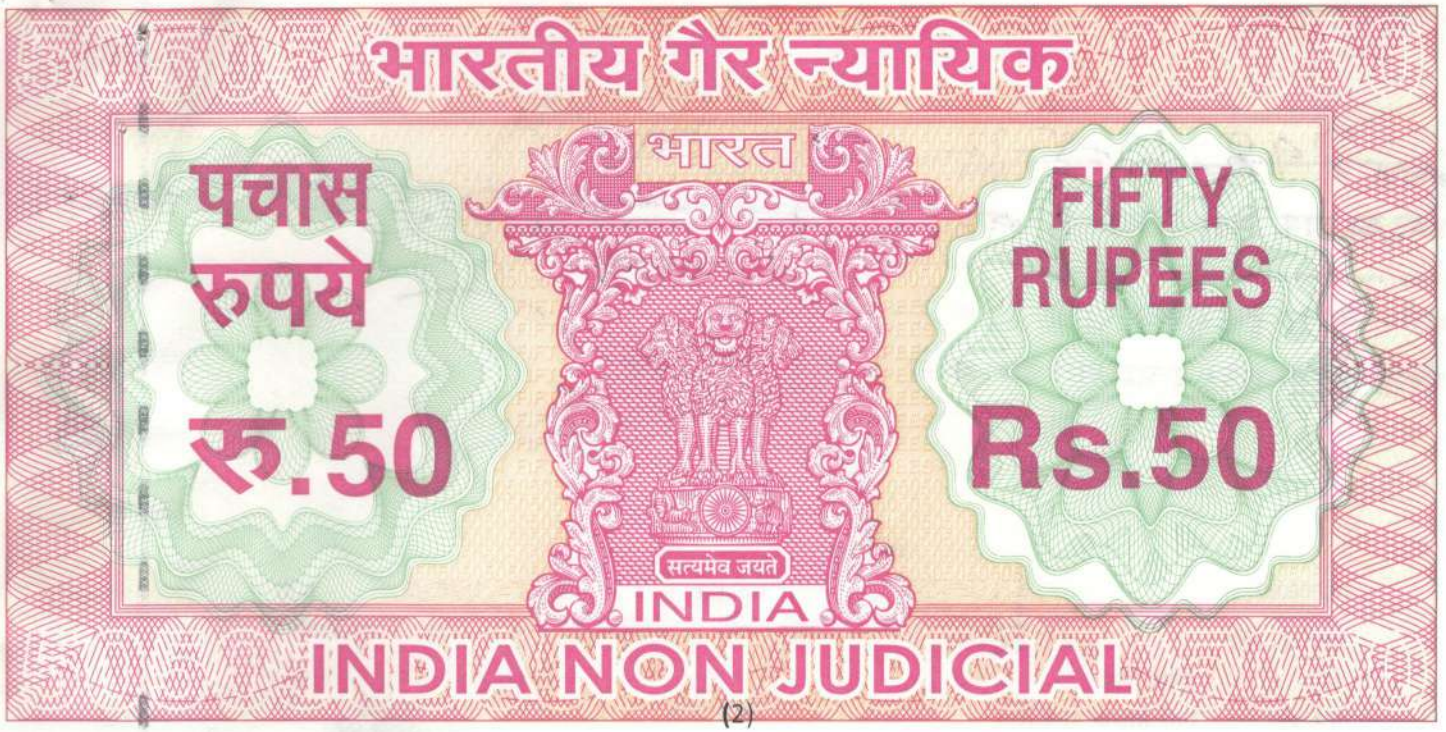

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AG 083902

विदित हो कि संस्थापक धनराशि अंकन 10,000/– रूपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी हैं तथा शिक्षा के लिए कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है, के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते हैं और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतुं संस्थापकों ने उक्त राशि अंकन 10,000/– रूपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियों एंव प्राविधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेगें। उक्त न्यासीगण ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम न्यासीगण होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे है अतः संस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं और धोषणा करते हैं कि –

1. उक्त ट्रस्ट का नाम "तिलक राज सिंह धर्मार्थ ट्रस्ट" **(Tilak Raj Singh Dharmarth Trust)** होगा।
2. उक्त ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्ति ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी होगें–1. उमेश सिंह पुत्र स्व0 तिलक राज सिंह–सस्थांपक, 2. उत्कर्ष सिंह पुत्र श्री उमेश सिंह–सस्थापक, 3. श्रीमती उषा सिंह पत्नी श्री उमेश सिंह – संस्थापक, 4. कुमारी प्रियंका सिंह पुत्री श्री उमेश सिंह – ट्रस्टी, 5. कुमारी ज्योति सिंह पुत्री श्री उमेश सिंह – ट्रस्टी।
3. यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय 683, राजरूपपुर, जिला–इलाहाबाद होगा। न्यासीगण को अधिकार होगा कि वह उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी स्थानान्तरित कर सकते हैं।

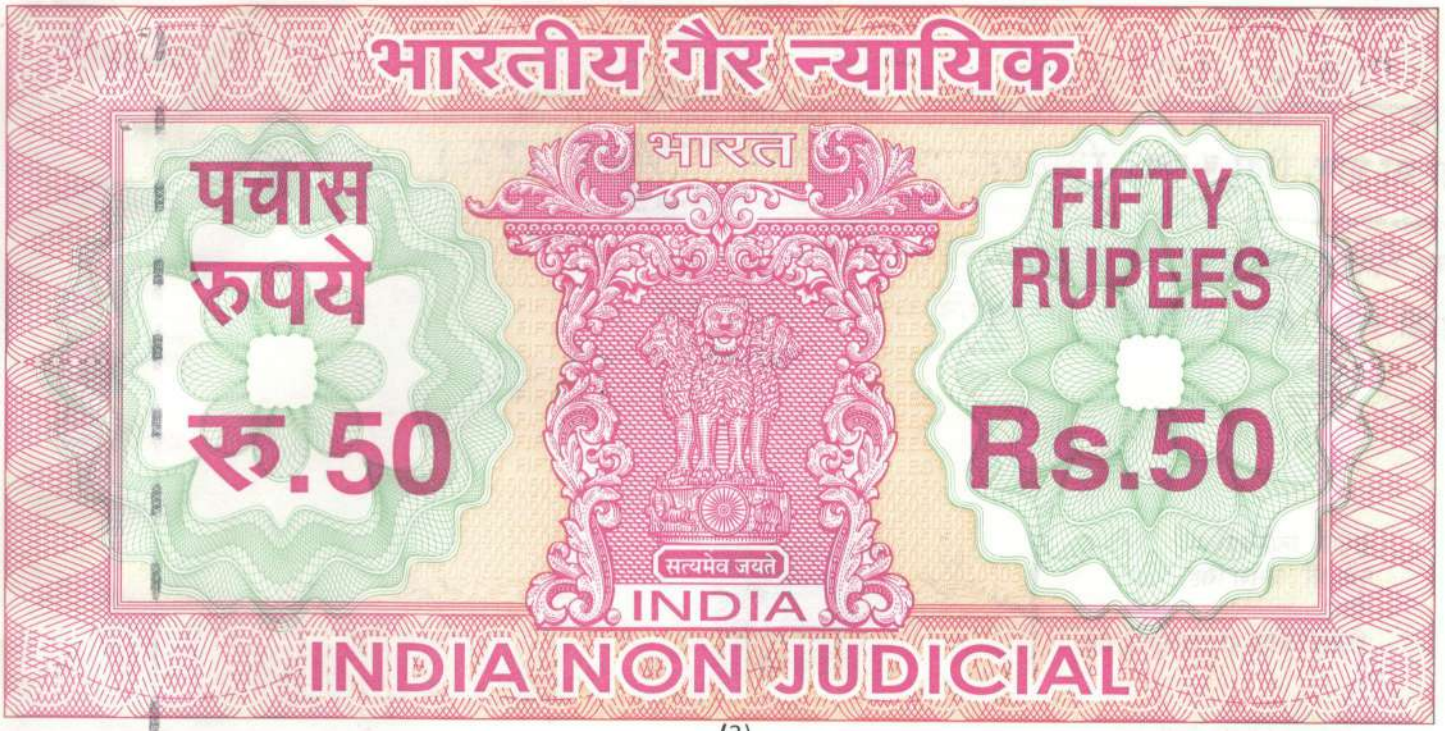

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 083903

4. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन 10,000/– रूपये तथा उक्त ट्रस्ट की समस्त सम्पत्ति जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है जिसका तात्पर्य ट्रस्ट की सम्पत्ति, नगद राशि, निवेश धन, दान अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय–समय पर प्राप्त हो, को धारण करेगें तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों को प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेगें।

5. यह कि ट्रस्टीगण, ट्रस्ट फण्ड जिनकी पूंजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान का कार्य औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एंव संचालन व व्यवस्था, यात्री सेवा, सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेगें तथा न्यासीगण को समय–समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यासीगण समय–समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण, सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों या विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7. यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड की आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को आगे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे सर्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते हैं।

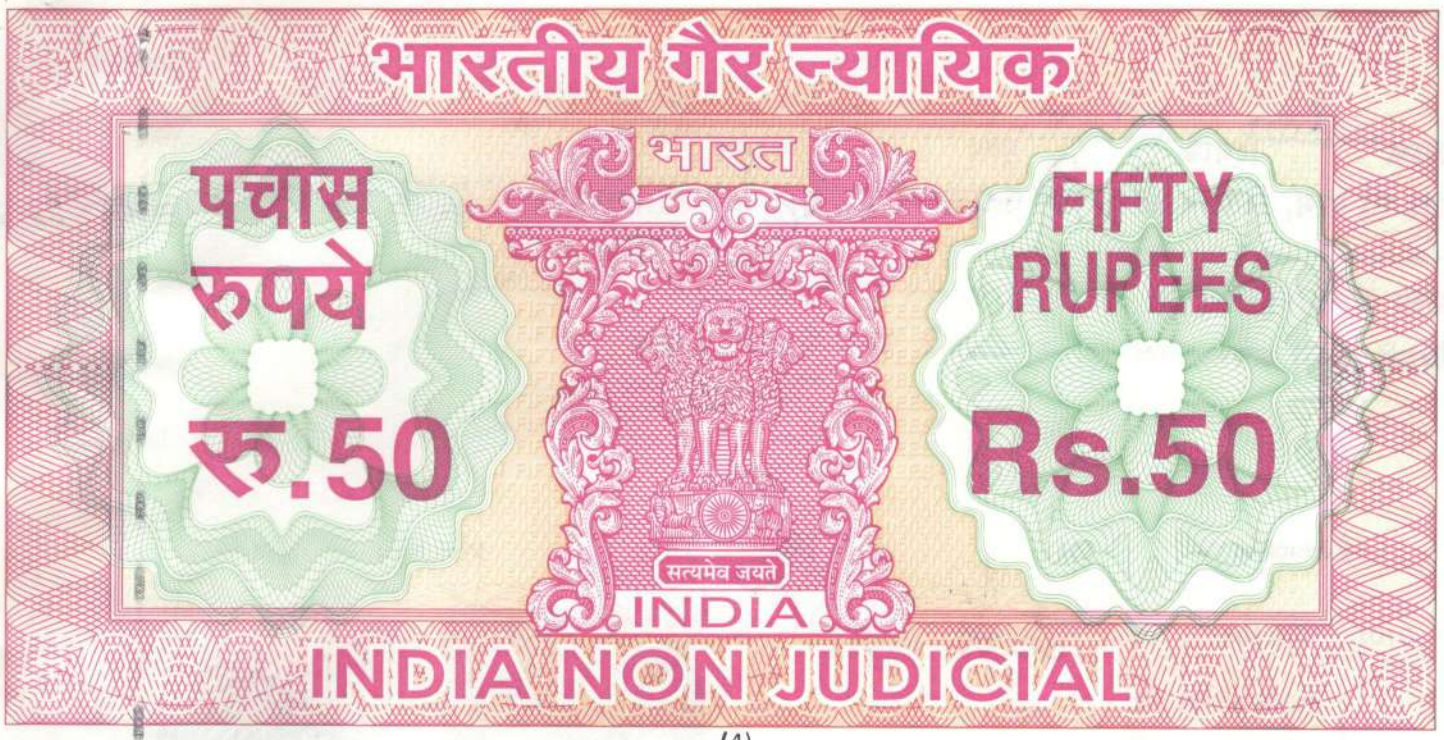

(4)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 083904

(1.) डेन्टल कालेज, मेडिकल कालेज एंव अस्पताल की स्थापना व संचालन करना।

(2.) इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना व संचालन करना।

(3.) स्कूल, कालेज, डिग्री कालेज, शिक्षण–प्रशिक्षण कालेज व तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।

(4.) शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।

(5.) जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना उन्हें विकय करना तथा हस्तान्तरण करना।

(6.) समाज के सभी वर्गों के जरूरतमदों के लिए छात्रवृत्ति आदि कार्य करना।

(7.) अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओं एंव प्रयोगशालाओं का संचालन एंव स्थापित करना।

(8.) प्रकृति पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना, शहरों में पेड़ लगाना जिससे प्रदूषण कम हो, खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़े और अवैध कब्जे भी न होने पाये।

(9.) निरीह प्राणियों, पशु एंव पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एंव उनके लिए चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।

(10.) स्कूल व कालेज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण के लिए जागृत करने हेतु कार्यकम चलाना।

Utkarsh Usha singh. Singh

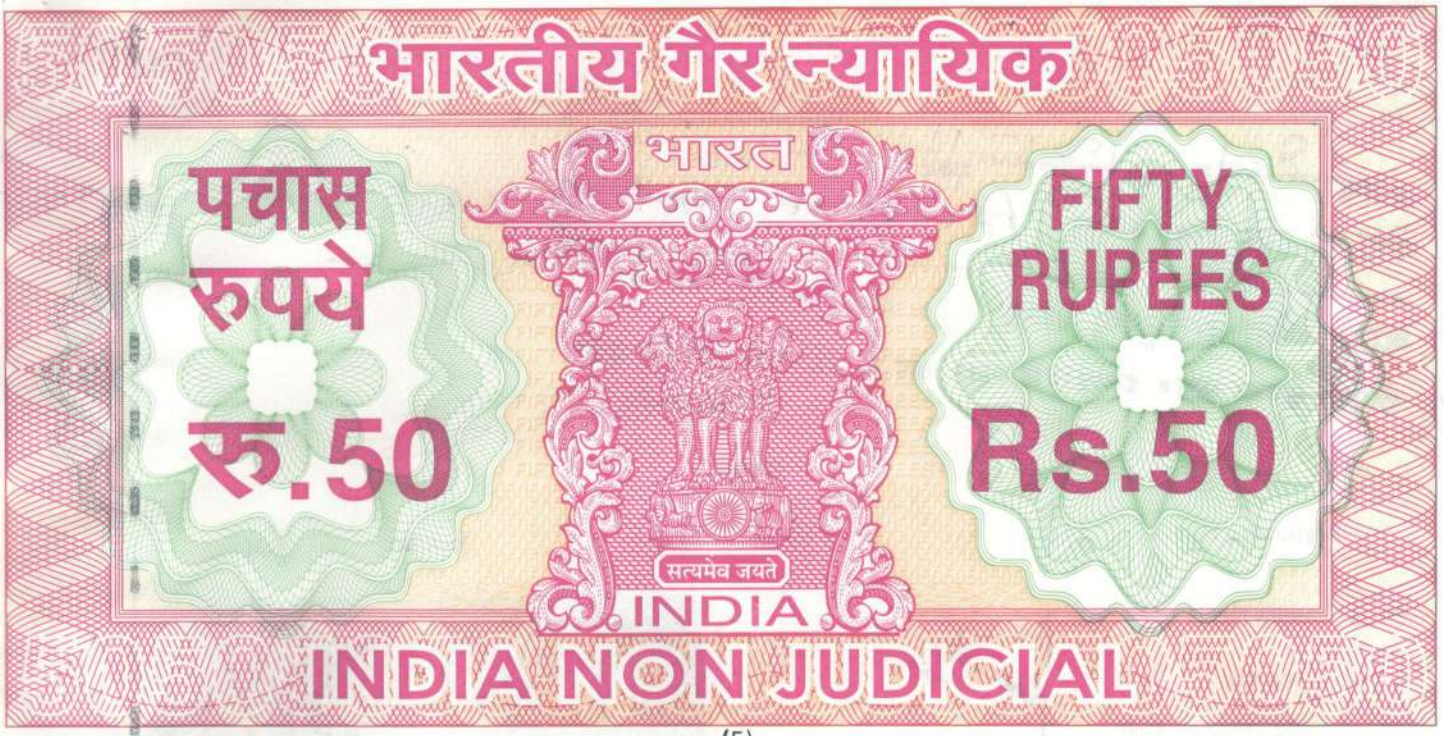

(5)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 083905

(11.) शैक्षिक किताबों, पेपर, समाचार पत्र आदि का प्रकाशन करना, लाईब्रेरी रीडिंग रूम तथा हास्टल आदि की स्थापना एंव संचालन करना।

(12.) समस्त मानव कल्याण के लिए कार्य करना।

(13.) निर्माण कार्य आदि करना।

(14.) ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना ताकि समाज व मानव जाति के कल्याणकारी कार्य सुचारू रूप से न्यास कर सके।

(15.) वह सभी कार्य करना जिससे कि आम जनता को या तो पैसों के द्वारा या तो किसी और तरह की मदद के द्वारा अस्पताल में, स्कूल में, दवा के दुकान में, मैटरनिटी में और बालकों को सहयोग देने कि लिए होगा।

(16.) स्कूल में, कालेजों में, लाईब्रेरी में, लैब में, यूनिवर्सिटी में जिसके द्वारा सबको शिक्षा प्रदान करने से पैसों के द्वारा या किसी और सहायता द्वारा।

(17.) स्कालरशिप देना, किताबे बाटँना, पुरस्कार व मेडल देना और तरह–तरह से विद्यार्थियों को बिना किसी जाति धर्म या भेदभाव के प्रोत्साहित करना।

(18.) विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, पुरातत्व के क्षेत्र में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना जिसके द्वारा हमारी प्राचीन वस्तुए सुरक्षित रह सके।

(19.) पार्को को व्यवस्थित करना, खेल के मैदान को सुरक्षित रखना, धर्मशाला को व्यवस्थित रखना जिसके द्वारा आम जनता आनन्द उठा सके।

(20) वृद्ध, असहाय, अनाथ और जरूरतमंद लोगों के लिए घर बनवाना।

Utkarsh Uma Singh. Singh

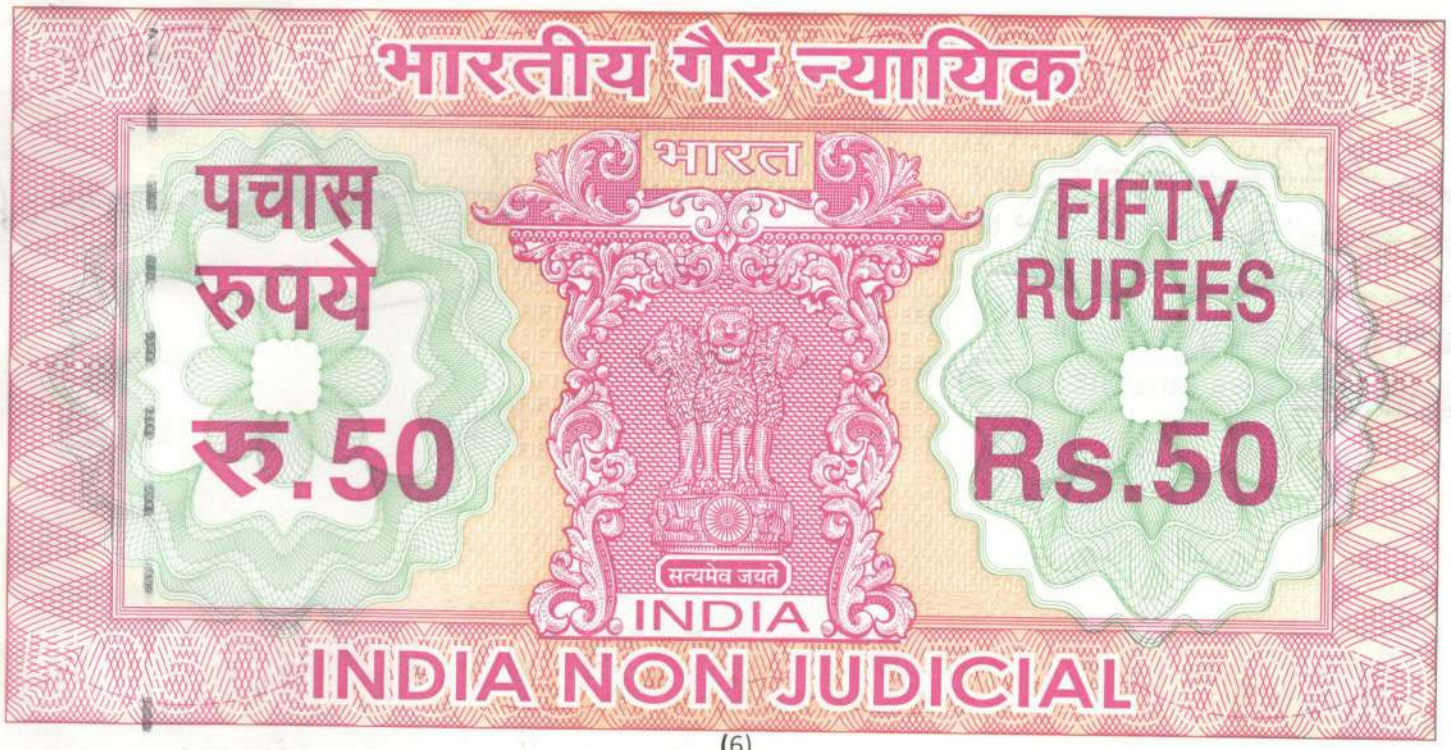

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 083906

(21) विधवा, परित्यक्ता व गरीब औरतों की सहायता करना।

(22) जो विकलांग और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है उनको खाना व घर की व्यवस्था करना।

(23) यह कि भूकम्प आने पर, बाढ़ आने पर, आग लग जाने पर और कोई भी प्राकृतिक आपदा आने पर जरूरतमदों को बिना किसी शर्त के सहायता करना।

(24) अन्य दूसरे चैरिटबल ट्रस्ट को फण्ड देना।

8. यह कि न्यास का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा।

9. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में किसी या किन्हीं भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर, जैसा कि ट्रस्टीगण उचित समझें उपरोक्त उनके कार्यो में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।

11. यह कि ट्रस्टियों का अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा तथा ट्रस्टियों की मृत्यु के बाद उनकी संतानों का अधिकार ट्रस्ट पर तथा ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर होगा, किसी और व्यक्ति का किसी भी प्रकार का

Utkarsh Usha Singh.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 083907

अधिकार ट्रस्ट पर, ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर नहीं होगा।

12. यह कि ट्रस्टीगण, ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने से अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष नियुक्त करेगें तथा उपाध्यक्ष व सचिव ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए उपाध्यक्ष व उपसचिव नियुक्त करेगें। सभी ट्रस्टियों का कार्य काल जीवनपर्यन्त होगा।

13. यह कि उक्त ट्रस्ट के श्री उमेश सिंह प्रथम अध्यक्ष, श्री उत्कर्ष सिंह प्रथम सचिव व श्रीमती उषा सिंह प्रथम कोषाध्यक्ष होगीं।

14. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होगें–

अध्यक्ष– ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना, ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही करना।

उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्य करना।

सचिव– ट्रस्ट की बैठक में पारित समस्त प्रस्तावों व आदेशों को कार्यरूप में परिणित करना, ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना, सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिखकर अध्यक्ष से सत्यापित कराना, अगली बैठक बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की

Utkarsh Usha Singh.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 083908

कार्यवाही की पुष्टि के लिए उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना, ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर अध्यक्ष से अनुमोदित कराना, ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रखना व उनकी सुरक्षा करना।

उपसचिव– सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना।

कोषाध्यक्ष– ट्रस्ट के दैनिक आय व्यय का लेखा रखना व उसका आडिट कराना। ट्रस्ट की समस्त व्यय जो कि सचिव द्वारा सत्यापित हो उनको अध्यक्ष से अनुमोदित कराकर भुगतान करना, ट्रस्ट के नाम से सभी चालू खाते, सावधि जमा खाते, सेविगं बैंक खाते, ओवर ड्राफ्ट खाते व सभी प्रकार के बैकिंग खाते का संचालन संयुक्त रूप से अध्यक्ष एंव सचिव के साथ करना।

15. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य, सभी ट्रस्टियों की सहमति से अध्यक्ष के हस्ताक्षर से होगें। ट्रस्ट के पक्ष में या ट्रस्ट की ओर से चल व अचल सम्पत्तियों के कय अथवा विक्रय विलेख का निष्पादन सभी ट्रस्टियों की सहमति से अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा किये जायेगें।

16. यह कि ट्रस्टीगण समय–समय पर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यो के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एंव ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्ध समिति को सम्बन्धित कार्यो उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिए जो

Utkarsh Usha Singh.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 083909

अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझे प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष ही उक्त समस्त प्रबन्ध समितियों के कमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष होगें।

17. किसी भी ट्रस्टी की मृत्यु के बाद उनके संतान उक्त ट्रस्ट के ट्रस्टी होगें और ये सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।

18. यह कि सभी ट्रस्टियों के सहमत से अन्य ट्रस्टी रखने व सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा।

19. यह कि ट्रस्ट के नाम, नियम एंव उद्देश्यों में परिवर्तन ट्रस्टियों के बहुमत से होगा।

20. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को सात दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहां ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

21. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टियों की संख्या का 1/2 अथवा किसी तीन ट्रस्टियों का होगा। यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती।

Akash Uma Singh, Singh

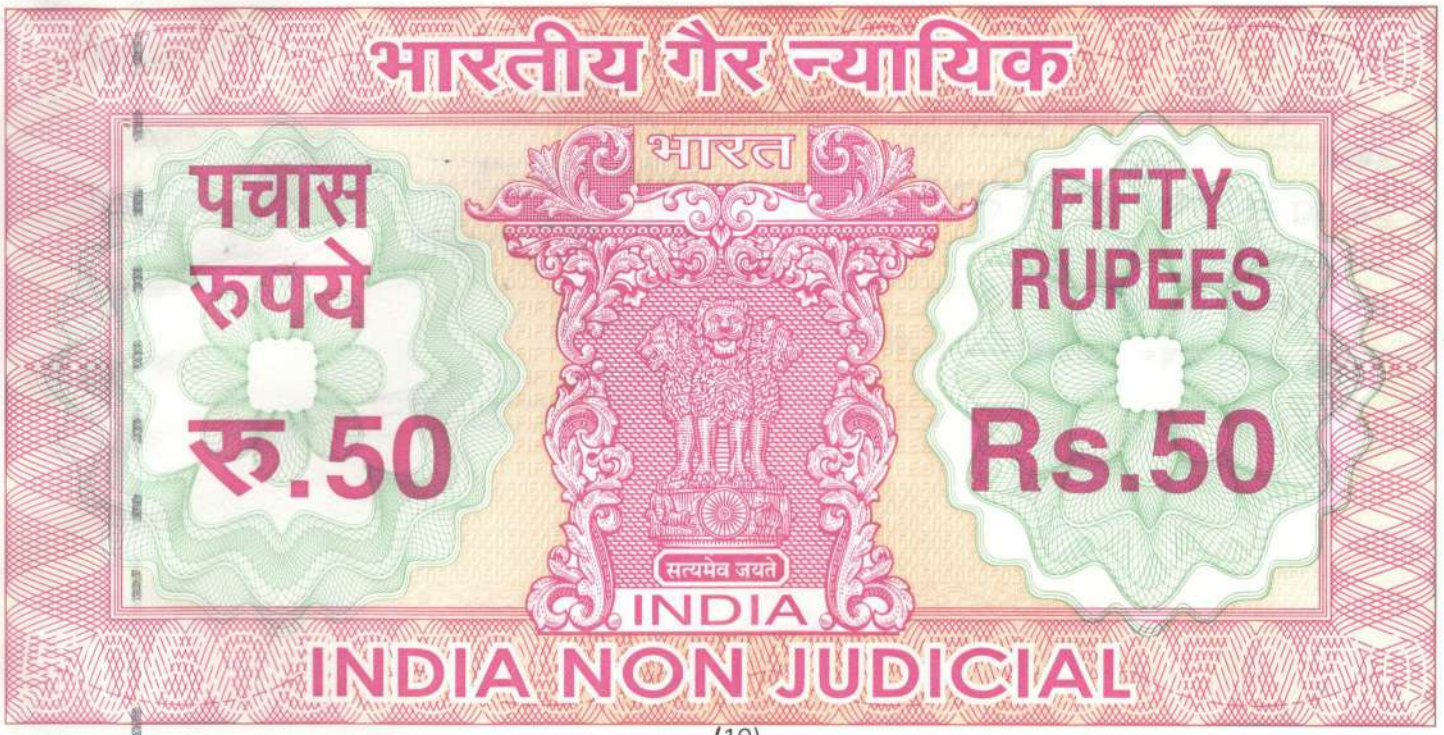

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 083910

22. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं को अपने तकनीकी कौशल के अनुसार ट्रस्टीगण व्यावसायिक सेवा के लिए उचित पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें। ट्रस्टी की मृत्यु के बाद इनकी संतान पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें।

23. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिए उत्तरदायी होगें तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य के प्रति उपेक्षा अथवा चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें, परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर, दलाल, एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियां आदि रखी गयी है और उनके व्यक्तिगत कार्य के कारण ना हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिए व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होगे।

24. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य करने हेतु किसी भी एजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल हैं, को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।

25. यह कि ट्रस्टीगण के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, सेविगं बैंक खाता, ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैकिंग का व्यवसाय करती हो, में खोल और रख सकते हैं परन्तु सभी उक्त बैकिंग एकाउन्टस खातों का संचालन तीन पदाधिकारियों से होगा जिसमें अध्यक्ष, सचिव एंव कोषाध्यक्ष होगें

Utkarsh Ushasingh. Singh

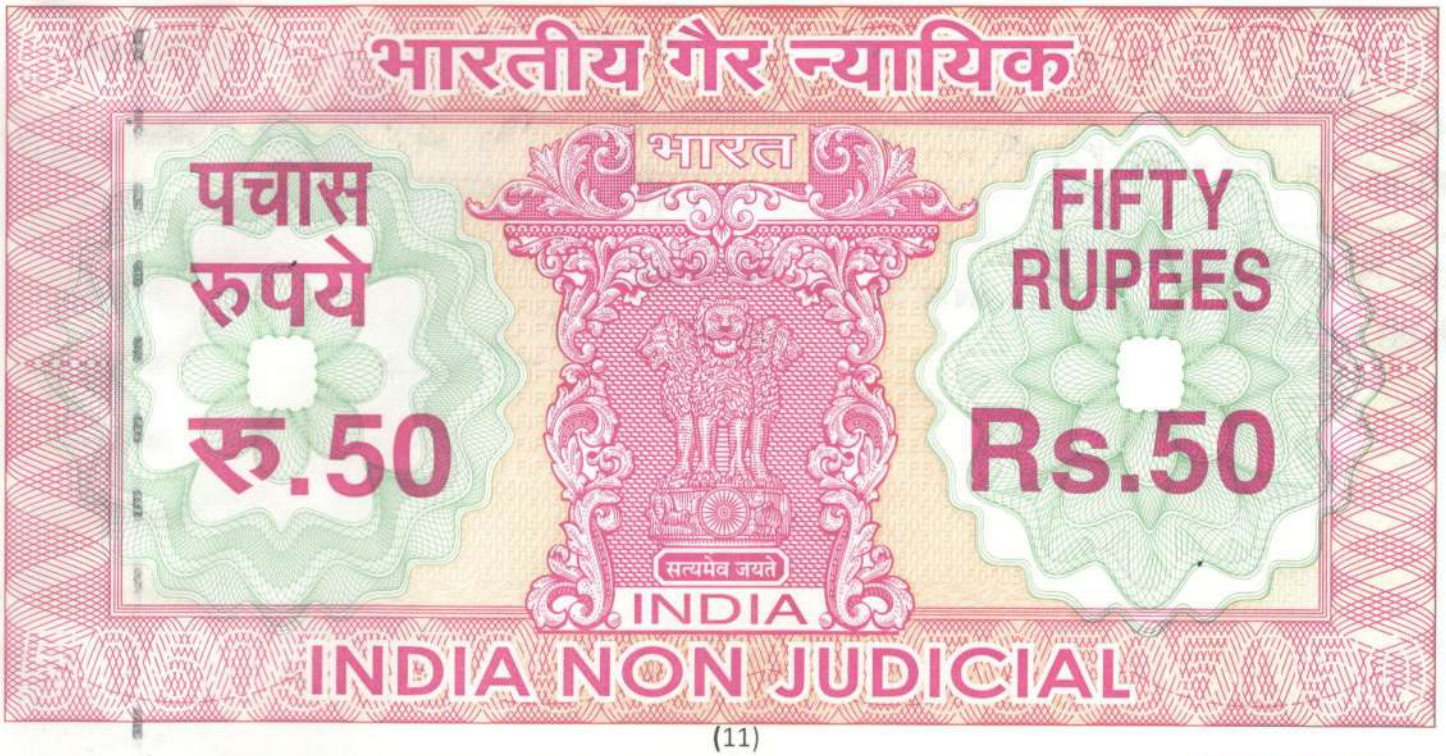

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 083911

26. यह कि ट्रस्टीगण, ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एंव सम्पत्तियों का सम्पूर्ण, उचित तरीके से बाजाप्ता लेखा रखेंगें और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय व्यय का लेखा व आर्थिक चिठ्ठा बनायेगें जो कि सभी ट्रस्टियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसके बाद चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा आडिट कराया जायेगा।

27. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिवत कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

28. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेगें तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो, को प्राप्त करने व धारण करने, चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर या किराये पर या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने तथा विक्रय करने, किराये पर देने, हस्तान्तरण करने या अन्य प्रकार से

Utkarsh Usha singh. Singh

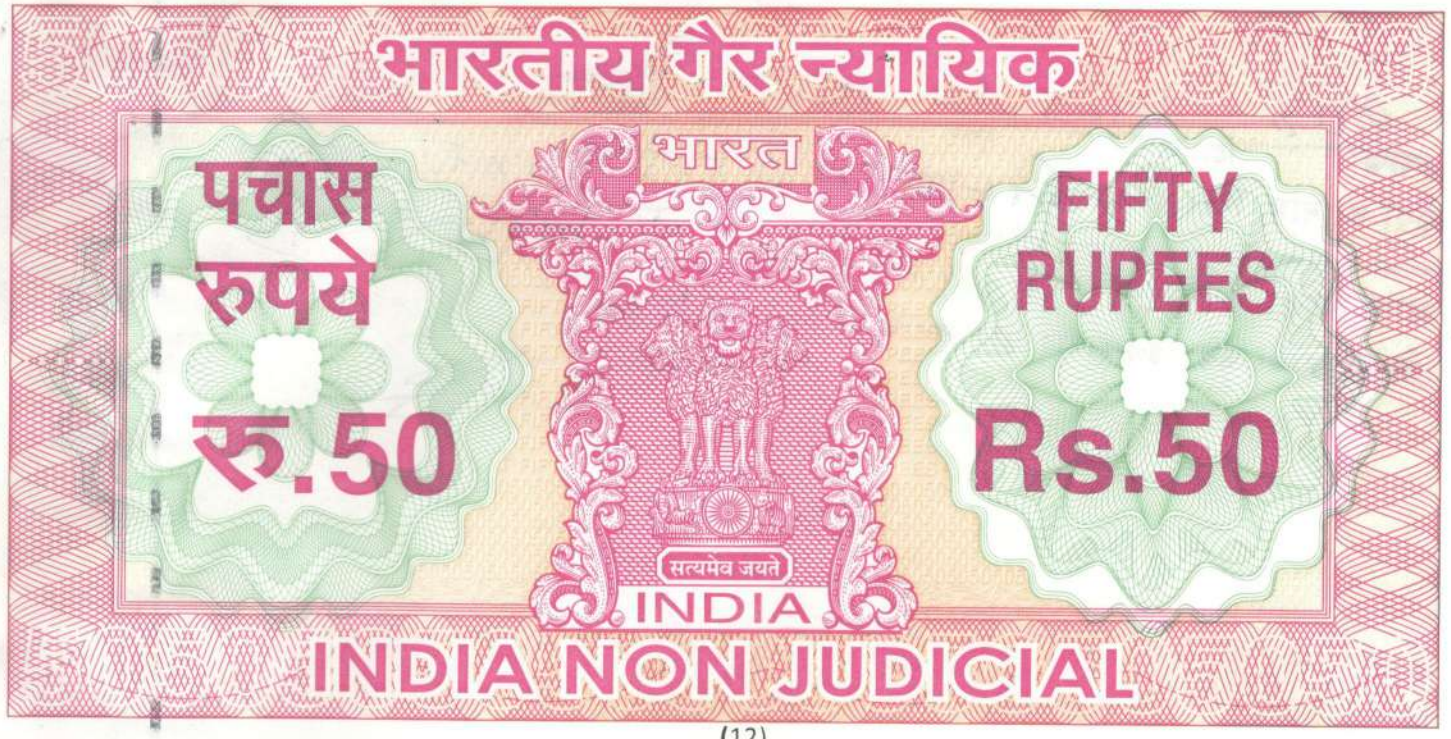

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 083912

अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा, परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यों से रिक्त होने का अधिकार नहीं होगा।

29. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम, प्राइवेट संविदा द्वारा सशर्त अथवा बिना शर्त विकय करना, कय करना, किसी विकय अथवा की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुयी किसी हानि के जिम्मेदार नहीं होगें।

30. यह कि अध्यक्ष को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए समय–समय पर उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सम्पत्तियों को बन्धक रखकर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए उधार/ऋण/बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा। इन सभी कार्यों को करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।

Utkarsh Usha singh. Singh

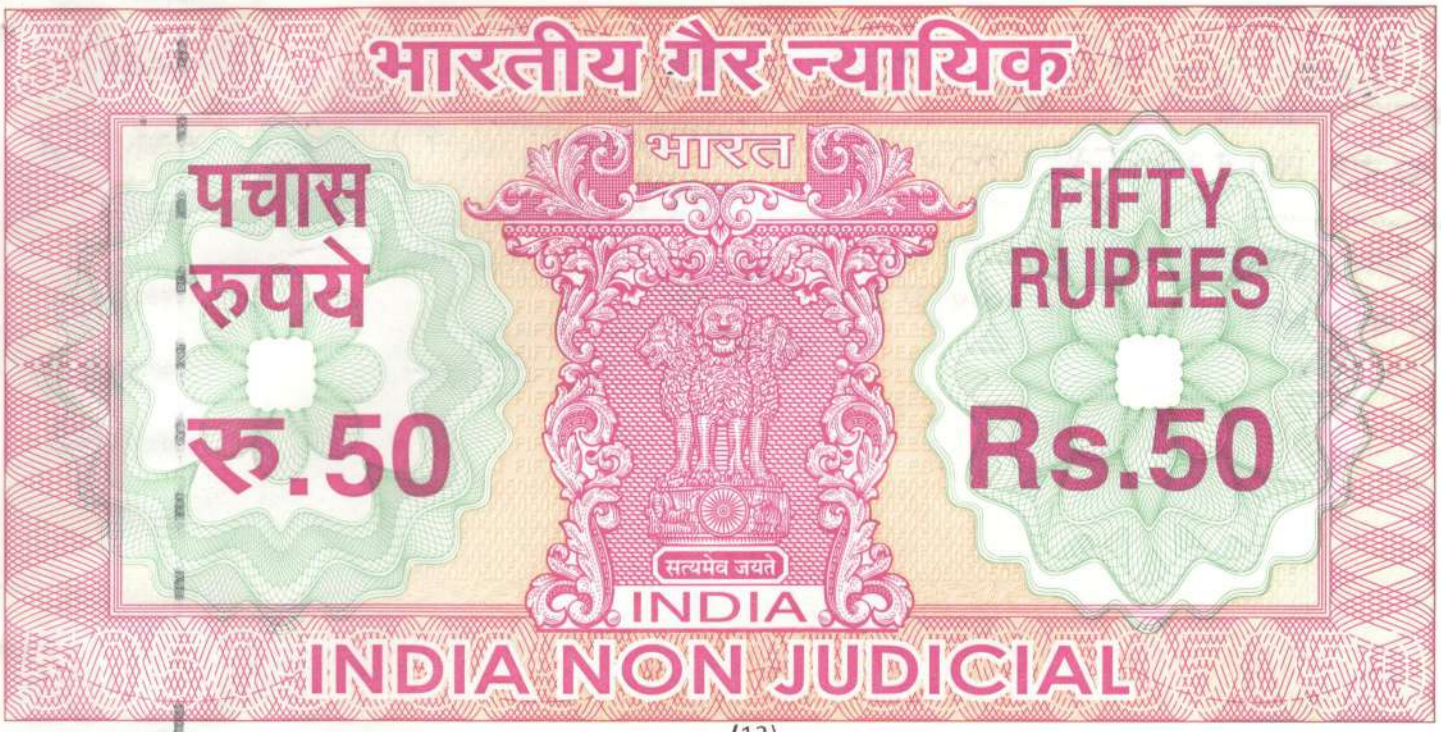

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये रु.50
FIFTY RUPEES Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
AC 083913

31. यह कि अध्यक्ष को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराये पर देने व सभी प्रकार के शेयरों ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

32. यह कि एतद्द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट प्रतिसंहरणीय होगा परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ हों तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देन–दारियों का भुगतान करने के पश्चात भी जो लाभ या हानि होगी, वह ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा।

33. ट्रस्टी सदस्य की सदस्यता निम्न आधार पर भंग की जा सकती है :–

क. यदि वह विकृत्ति चित्त, अस्वस्थ मस्तिष्क या पागल हो।

ख. यदि वह दिवालिया धोषित किया जा चुका हो या न्यायालय द्वारा दंडित किया जा चुका हो।

Utkarsh Usha singh. Singh

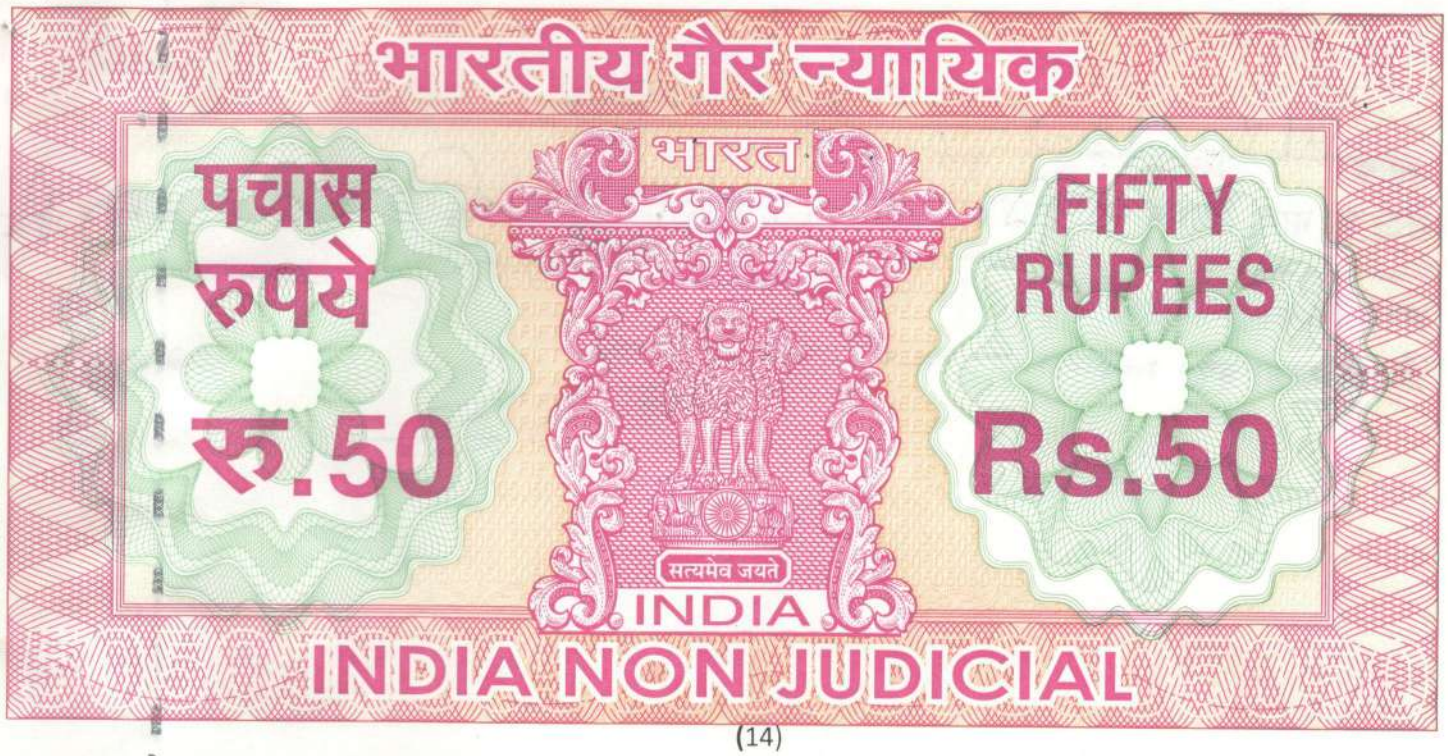

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 083914

ग. यदि वह ट्रस्ट के विपरीत या अपने कार्य उपेक्षा एंव दुर्व्यवहार का दोषी हो।

घ. यदि वह कार्य करने में अयोग्य हो गया हो या समयानुसार निर्णय लेने में सक्षम न हो।

ङ त्यागपत्र देने पर।

34. ट्रस्ट के द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :–

ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के समस्त प्रकार के वाद विवाद के निपटारे का न्यायालय केवल इलाहाबाद नगर होगा तथा समस्त प्रकार की न्यायालयी कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के द्वारा की जायेगी तथा इनके द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा की जायेगी। सचिव की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किये पदाधिकारी करेगा।

अतएव यह ट्रस्ट डीड आज समक्ष साक्षियों के निष्पादित कर दिया गया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

Utkarsh Uma singh. Singh

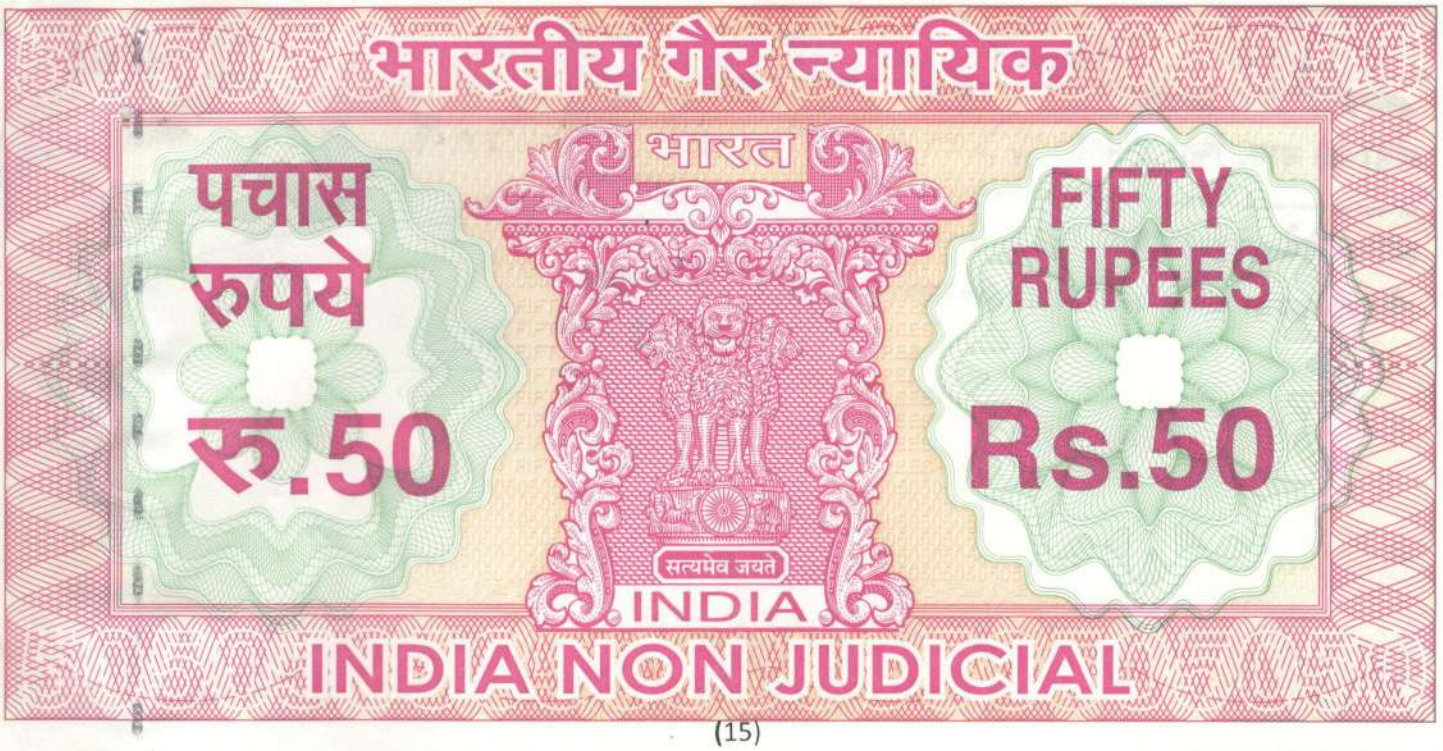

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 083915

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप संस्थापक – ट्रस्टीगण ने अपने हस्ताक्षर किये।

(1) (2) (3) (4) (5)

गवाह :

1. RPSingh Advocate

2. देवेन्द्र भूषण पाठक एडवोकेट 712, राजरूपपुर इलाहाबाद

मसविदाकर्ता – RPSingh Advocate

टाईपकर्ता– Amitabh

दिनॉक – 21 मई सन् 2012 ई0